न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी :: ओ0 पी0 बिश्नोई, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2019

सायल		गैर सायल
सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला जैसलमेर	बनाम	मूलचन्द पुत्र भैराराम जाति भील निवासी एसबीआई बैक के पिछे, भील बस्ती, पोकरण जिला जैसलमेर

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय सायल की ओर से।
2. श्री नवीन पुरोहित, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

इस्तगासा अर्न्तगत धारा- 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1975

:: आदेश :: दिनांकः- 26-11-2019

01. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर ने गैर सायल मूलचन्द के विरूद्व धारा-3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार-बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षैत्र व जिला क्षैत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना पोकरण व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परी संकटमय है। अपराधी मूलचन्द पुत्र भैराराम भील निवासी एसबीआई बैक के पिछे, भील बस्ती, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) मूलचन्द पुत्र भैराराम भील निवासी एसबीआई बैक के पिछे, भील बस्ती, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। अतः इस्तगासा हाजा वरखिलाफ अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) मूलचन्द पुत्र भैराराम भील निवासी एसबीआई बैक के पिछे, भील बस्ती, पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सेवामें प्रेषित है। गैरसायल के विरूद्व निम्नाकिंत मुकदमें पुलिस थाना, जैसलमेर में दर्ज हुए हैः-

1. दिनांक 14.07.2016 श्री खेतसिंह हैड कानिस्टेबन संख्या 1504 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर कस्बा पोकरण मे श्याम चमचम होट्ल के पीछे मुल्जिम मूलचन्द को जुआ की पर्चीया काट्ते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 270 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 101 दिनांक 14.07.2016 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्व चार्जशीट संख्या 62 दिनांक 02.08.2016 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2016 को मुल्जिम मूलचन्द को 100 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।
2. दिनांक 02.02.2018 श्री अनोपाराम हैड कानिस्टेबन संख्या 96 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर कस्बा पोकरण मे प्राईवेट बस स्टैण्ड के पास पोकरण मुल्जिम मूलचन्द को जुआ की पर्चीया काट्ते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 2025 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

Scanned by CamScanner

दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफ्तार कर मुकदमा संख्या 23 दिनांक 02.02.2018 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 20 दिनांक 26.02.2018 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2018 को मुल्जिम मूलचन्द को 300 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

3. दिनांक 27.12.2018 श्री कृष्णकुमार हैड कानिस्टेबन संख्या 79 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर करवा पोकरण मे बबलू टी स्टॉल के पीछे पोकरण मुल्जिम मूलचन्द को जुआ की पर्चीया काट्ते हुये को मय जुआ की नगद राशि 210 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 221 दिनांक 27.12.2018 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 159 दिनांक 28.12.2018 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2019 को मुल्जिम मूलचन्द को 100 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार-बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षैत्र व जिला क्षैत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना पोकरण व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परी संकटमय है। अपराधी मूलचन्द पुत्र भैराराम भील निवासी एसबीआई बैक के पिछे, भील बस्ती, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण द्वारा उक्त अपराधी पर निगरानी रखी जा रही है तथा थाना के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निगरानी व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) श्री मूलचन्द पुत्र भैराराम उम्र 45 वर्ष निवासी एसबीआई बैक के पिछे, भील बस्ती, पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। उपरोक्त हालातों में गैरसायल की गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिये इस्तगासा हाजा बरखिलाफ गैरसायल मूलचन्द अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पेश कर अर्ज है कि गैरसायल को गुण्डा घोशित कर जिला जैसलमेर से निश्कासित किया जावे।

02. गैरसायल उपस्थित हुआ व हाजरी मुचलका प्रस्तुत किया व नोटिस अस्वीकार कर अनवीक्षा चाही व अपना जबाब दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रथम दृश्टया मामला उक्त धारा का नहीं बनने से नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे एवम् गैरसायल श्री मूलचन्द के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की रिपोर्ट अनुसार अंतिम प्रकरण संख्या 221 दिनांक 27.12.2018 को पुलिस थाना, पोकरण द्वारा की गई थी जिसका न्यायालय में दिनांक 19.01.2019 को निस्तारण हो गया था। वर्तमान में लगभग गत नो माह में कोई भी आपराधिक प्रकरण श्री मूलचन्द के विरुद्ध दर्ज नही हुआ है तथा आपके द्वारा दिये गये नोटिस में दिनांक 03.09.2019 के हिसाब से श्री मूलचन्द पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही नही हो सकती ऐसा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये माफिक निर्णय में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस जारी होने की तारीख से तुरंत छः माह की अवधि में किसी आपराधिक कार्यवाही मे संलिप्त नही है तो उस पर नोटिस की कार्यवाही चलने योग्य नही है तथा वह गुण्डा की परिभाषा में नही आता है यह निर्णय राणाराम बनाम राज0 राज्य व अन्य 2002 (4) RLW 2184 राज0 में अपनायी गयी है। श्री मूलचन्द पिछले नौ माह से सभ्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहा है तथा उसके द्वारा न तो किसी के साथ IPC के अध्याय 16 के अधीन नही जनता को गुब्बा खाईवाली में पैसो का लालच देकर गैर कानूनी कृत्य किया गया जो कि आपके द्वारा दिये नोटिस के पूर्वोक्त खण्ड क, ख, ग के बारे में सारवान आरोप में से

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

Scanned by CamScanner

कोई भी अपराध वर्तमान में छः माह की अवधि में नही किया गया है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि नोटिस की कार्यवाही के संबंध में श्री मूलचन्द के विरूद्व आदेश जारी नही कर के इस्तगासा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नही आने से सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज करने का अनुरोध किया ।

03. सहायक लोक अभियोजक ने बहस में बताया कि आरपीजीओ में गैर सायल को सजा हो चुकी है। गैरसायल श्री मूलचन्द पुत्र भैराराम जाति भील निवासी एसबीआई बैक के पीछे, भील बस्ती, पोकरण जिला जैसलमेर दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है अतः उक्त गैरसायल को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गुण्डा घोषित व जिले से निष्कासित करने के पर्याप्त सबूत उपलब्ध होने के कारण उसे जिले से निष्कासित किया जावे।

04. उभय पक्षो की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। गैरसायल श्री मूलचन्द भील को दस्तावेज अनुसार आरपीजीओ एक्ट के तहत तीन बार सजा हो चुकी है। जिसका स्वच्छंद रहना समाज के लिए संकटमय है उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधो में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानो परिधि में आता है। अतः श्री मूलचन्द पुत्र भैराराम जाति भील निवासी एसबीआई बैक के पीछे, भील बस्ती, पोकरण जिला जैसलमेर को एक माह की अवधि के लिये निश्कासित किया जाता है। इस अवधि में वह उक्त पुलिस थाना, पोकरण क्षैत्र की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा एवं पुलिस थाना, देचू जिला जोधपुर में अपनी उपस्थिति माह 1 व 16 तारीख को दर्ज कराने हेतु पाबन्द किया जाता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, देचू नियमानुसार उपस्थिति पंजिका तैयार करे। गैरसायल अपनी सकूनत छोडने की सूचना संबंधित थाना को देगा कि कितने दिन तक बाहर रहेगा एवं पुलिस थाना क्षैत्र, देचू में कहां निवास करेगा । उसकी भी सूचना संबंधित थानाधिकारी को देने हेतु बाध्य रहेगा। इस आदेश की पालना, अपील म्याद गुजरने के बाद प्रभावशील होगी। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,जैसलमेर, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर, थानाधिकारी, पुलिस थाना, देचू, जिला जोधपुर थानाधिकारी, पुलिस थाना, पोकरण व गैर सायल को दी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

Scanned by CamScanner